मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 26, 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय घोषणा

प्रथम बार के निर्वाचित सदस्यों एवं महिला सदस्यों हेतु प्रश्नकाल में अवसर प्रदान किया जाना.

अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की कि- ‘‘आज का प्रश्नकाल प्रथम बार निर्वाचित एवं महिला सदस्यों को अवसर प्रदान करने हेतु नियत है. नए सदस्य इसका पूरा उपयोग करेंगे ऐसी अपेक्षा है.

आज की प्रश्नोत्तर सूची में क्रमांक 1 से 7 तक लगातार महिला सदस्यों के प्रश्न चर्चा में आए हैं. यह एक संयोग है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक उदाहरण भी है.’’

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा श्री दिलीप सिंह परिहार, सदस्य विधानसभा के जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

4. विशेष उल्लेख

मध्यप्रदेश विधान सभा के 68 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में यह उद्गार व्यक्त किए गए कि- ‘‘आज एक महत्वपूर्ण संदर्भ भी हम सबके बीच में है क्योंकि वर्ष 1956 में जब नई विधान सभा बनी, तो आज ही के दिन पहली विधान सभा की बैठक हुई थी. मध्यप्रदेश विधान सभा की गौरवपूर्ण यात्रा के 68 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी माननीय सदस्यों को हृदयपूर्वक बहुत-बहुत बधाई एवं बहुत शुभकामनाएं.’’

‘‘मध्यप्रदेश विधान सभा के 68 वर्ष की संसदीय यात्रा में स्पंदित हमारी गौरवमयी उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी और विकासोन्मुखी राज्य निर्माण में विधानसभा की महती भूमिका है.

लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत ने अपने महान् संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से प्रजातांत्रिक व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण स्थापित किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में राज्यों के विधानमंडलों की महती भूमिका रही है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अपनी स्थापना के 68 वर्ष पूर्ण कर रही मध्यप्रदेश विधान सभा का संसदीय परंपराओं के निर्वहन में एक गौरवशाली इतिहास रहा है।

15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो मध्यप्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसके घटक राज्यों में मध्यप्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश एवं भोपाल थे, जिनकी अपनी-अपनी विधान सभाएं थीं। पुनर्गठन के पश्चात् चारों विधानसभाएं एक विधान सभा में समाहित हो गई एवं 1 नवंबर, 1956 को नई विधान सभा अस्तित्व में आई एवं इसका पहला अधिवेशन 17 दिसम्बर 1956 को प्रारंभ हुआ था।

मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पद्मविभूषण स्व. कुंजीलाल दुबे जी ने सदन में अपने पहले अध्यक्षीय संबोधन में विश्वास जताया था कि "मध्यप्रदेश देश का गौरव बनेगा, प्रदेश की विधानसभा संसदीय नियमों के निर्वहन में एक मिसाल कायम करेगी। "आज 68 वर्ष उपरांत मुझे यह कहते हुए बहुत संतोष और हर्ष होता है कि इन सात दशकों में मध्यप्रदेश की विधानसभा ने भारत के संसदीय इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित किया है। सात दशक के इस कालखण्ड में विधानसभा ने प्रदेश के विकास और यहां के नागरिकों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, वे सरकारों के माध्यम से धरातल पर उतरे और आज जब हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में 'विकसित भारत' के संकल्प की सिद्धि में द्रुतगति से जुटे हुए हैं, स्व. कुंजीलाल दुबे जी के शब्दों में मध्यप्रदेश, देश का गौरव बन रहा है।

भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, क्योंकि यही वह भूमि है जहां शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक मूल्यों का सर्वप्रथम बीजारोपण हुआ। ऋग्वेद और अथर्ववेद, सबसे पुराने उपलब्ध पवित्र ग्रंथ, सभा, समिति और संसद जैसी भागीदारी वाली संस्थाओं का उल्लेख करते हैं, जिनमें से अंतिम शब्द अभी भी प्रचलन में है जो हमारी संसद को दर्शाता है। रामायण और महाभारत, इस भूमि के महान महाकाव्य भी निर्णय लेने में लोगों को शामिल करने की बात करते हैं। अतएव यह साक्ष्य प्रमाणित तथ्य है कि 'भारत लोकतंत्र की जननी' है। स्वतंत्रता उपरांत एक सुदृढ़ संघीय किंतु विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक व्यवस्था के आयामों में केंद्र एवं राज्यों की अपनी-अपनी सुस्पष्ट भूमिका है। मध्यप्रदेश में विधानसभा ने संसदीय प्रक्रियाओं, नियमों, परंपराओं एवं सदन संचालन के माध्यम से प्रदेश को एक सुशासित, जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुखी राज्य बनाने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है।

मध्यप्रदेश के निर्माण से अब तक 15 विधानसभा कार्यकाल पूर्ण हो चुके हैं, 16 वां जारी है। इस कालखण्ड में मध्यप्रदेश विधानसभा अपने यशस्वी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, मुख्यमंत्रियों, प्रतिपक्ष के नेताओं, मंत्रियों, समिति सभापतियों, सम्माननीय सदस्यों एवं विधानसभा सचिवालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों के अतुलनीय योगदान एवं असाधारण सहयोग के बल पर सदैव जनकल्याण एवं प्रदेश के विकास को समर्पित रही है। यह उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विधानसभा के अब तक 2600 से अधिक सदस्य रहे हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पूर्व अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 320 थी और विभाजन के पश्चात् यह संख्या 230 हो गई है।

इन सात दशकों में यह सदन कई ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी रहा है। विधेयकों के माध्यम से प्रदेश के विकास और जनकल्याण के कई निर्णय इसी सदन में हुए। यहां प्रदेश हित में गंभीर संवाद हुआ, पक्ष-विपक्ष में सार्थक वाद-विवाद हुआ, तीखी नोकझोंक भी हुई और हास-परिहास के

क्षण भी आए। मध्यप्रदेश विधानसभा के लिए यह गर्व का विषय है कि कुछ एक अप्रिय प्रसंगों को छोड़कर यहां सदस्यों ने सदैव ही संसदीय मर्यादाओं का पालन किया है।

मध्यप्रदेश विधान सभा में महिला शक्ति की भी सदैव महत्ता स्थापित रही है। सदन में महिला सदस्यों की पर्याप्त संख्या एवं महिला सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय एवं स्थान प्रदान किया जाता रहा है। यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री उमा भारती एवं नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्व. श्रीमती जमुना देवी ने महिला नेतृत्व को सदन में प्रबल किया है। वर्तमान में कुल 27 महिलाएं सदन की सदस्य हैं। मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रत्येक सत्र में प्रति मंगलवार को प्रश्नकाल में महिलाओं एवं प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों का प्रश्न लिये जाने का निर्णय लिया गया है। आज के दिन मंगलवार को भी प्रश्नकाल में हमारी 7 माननीया सदस्यों के प्रश्न तारांकित प्रश्नों में लिये गये हैं।

इसी सदन से 'मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना' का सूत्रपात हुआ जो प्रदेश में बालिका सशक्तिकरण और लिंगानुपात में सुधार के लिए पूरे देश में एक मिसाल बनी। निर्भया कांड के पश्चात् बलात्कार के प्रकरण में दुष्कर्मी को फांसी की सजा का प्रावधान करने वाली देश की पहली विधानसभा मध्यप्रदेश ही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या एक देश एक कर की भावना से परिपूर्ण जीएसटी, संसद के जनहित के हर निर्णय को प्रदेश में वैधानिक सहमति प्रदान करने में मध्यप्रदेश विधानसभा अग्रणी रही है।

मध्यप्रदेश विधानसभा जन-सरोकारों से भी जुड़ी रही है। यहां आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का उल्लेख करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश का कोई भी नागरिक जिसका शासन स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ हो और उसके द्वारा शासन एवं अधिकारियों के समक्ष आवेदन देने के पश्चात् भी कार्य का निराकरण नहीं हुआ हो तो वह आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति के समक्ष प्रमाण के साथ आवेदन कर सकता है। इस आवेदन पर समिति संज्ञान ले सकती है।

मध्यप्रदेश विधानसभा ने कोरोना के संकटकाल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का बीड़ा मध्यप्रदेश विधानसभा ने उठाया। इस दौरान विधानसभा में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया, जिस पर संपर्क करने वाले लोगों को इस विषम परिस्थिति में उनके घर पहुंचाया गया। मध्यप्रदेश विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण समिति, कृषि विकास समिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने समय-समय पर इन वर्गों के कल्याण एवं उत्थान में अपनी भूमिका निभाई है।

माननीय सदस्य जनता की आवाज होते हैं इसलिए विधान सभा अध्यक्ष के नाते मैंने पहल की है कि सदन में पहली बार चुनकर आए विधायकों को प्रोत्साहित किया जाए, उनकी आवाज अनुभव के आगे अनसुनी न रह जाए। सदन की गौरवशाली परंपराओं को बनाए रखते हुए यह व्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया है कि शून्यकाल की सूचनाओं में पहली बार चुनकर आये विधायकों की सूचनाओं को प्राथमिकता क्रम में सबसे ऊपर रखा जाय। पहली बार निर्वाचित तीन सदस्यों की सूचनाओं को उसी दिन स्वीकार किये जाने की व्यवस्था भी दी गई जिस दिन वे प्राप्त हुई थी। इस कदम को 16वीं विधान सभा में एक नई परिपाटी निरूपित किया गया। नवाचार को आगे बढ़ाते हुए एक और व्यवस्था दी गई कि प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। व्यवस्था के अनुसार 'अब विधान सभा के विघटन के पूर्व सत्र तक लंबित प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के उत्तर व्यपगत नहीं होंगे। इसके संबंध में परीक्षण कर प्रश्न एवं संदर्भ समिति द्वारा कार्यवाही की जायेगी तथा समिति द्वारा अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा । "

समन्वय, प्रशिक्षण और नवाचार की त्रिवेणी के माध्यम से यह प्रयत्न किया गया है कि विधानसभा की कार्यवाहियां राजनीतिक विचार से ऊपर उठ कर जन सरोकारों का मंच बन सकें। प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से विधान सभा के कार्य को प्रभावी, पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह बनाने की दिशा में ई-विधान पोर्टल और मोबाइल एप एक उल्लेखनीय पहल है। तकनीक के साथ कदमताल मिलाते हुए ई विधान सभा की प्रक्रिया को अपनाया गया है ताकि पूरी विधान सभा हाईटेक और डिजिटल बनाई जा सके।

मध्यप्रदेश विधान सभा का पुस्तकालय बहुत धनाढ्य इन अर्थों में है कि सम्पूर्ण भारत में अन्य किसी भी राज्य विधान सभा के पास इतना वृहद् एवं समृद्ध पुस्तकालय संभवत: नहीं है। प्राचीन ग्रन्थों, संदर्भ पुस्तकों, विधि, साहित्य, इतिहास, पुराण, संसदीय प्रणाली, मानव शास्त्र एवं अनेक विषयों पर कई भाषाओं में विश्व लेखों की असंख्य पुस्तकों का भण्डार है। विधान सभा सदस्यों और शोध छात्रों को प्रचुर साहित्य सामग्री सहज उपलब्ध हो जाती है।

26 नवंबर 2024 को भारतीय संविधान ने गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण कर लिए है। यह संविधान का वह अमृतकाल है जिसमें राज्यों के विधानमंडलों की भूमिका रही है। संविधान के 75 वर्ष के अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद को संबोधित करते हुए 11 संकल्प रखें है। इन सभी संकल्पों का पालन एक नागरिक के साथ-साथ विधानमंडल के सदस्य के रूप में हम सभी के लिए करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मध्यप्रदेश विधानसभा लोकतंत्र का एक ऐसा मंदिर है जहाँ संविधान में पूर्ण आस्था के साथ जनकल्याण की ऋचाएं रची जाती हैं। सात दशक की इस संसदीय यात्रा ने इस विधान सभा को अपने हर अनुभव के साथ समृद्ध बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन सदैव लोककल्याण की पताका फहराता रहेगा''।

सभी सदस्यों को इस पावन अवसर पर मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं, जय भारत, जय मध्यप्रदेश.''

तत्पश्चात् श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री, वित्त, श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष, श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, डॉ सीतासरन शर्मा, श्री गिरीश गौतम, श्री गोपाल भार्गव द्वारा भी विचार व्यक्त किए. अन्त में, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह उद्गार व्यक्त किए गए कि-

''सभी सदस्यों को इस मौके पर बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनायें और मैं समझता हूं कि प्रमुख रूप से बहुत सारे सुझाव भी आये हैं सभी लोगों ने विधान सभा की कार्यवाही को समृद्ध बनाने के लिये अपने सुझाव भी दिये हैं उन पर भी विचार किया जाना मुझे लगता है समीचीन होगा और सामान्यत: मैं कभी-कभी सोचता हूं कि पुराने समय में बहुत सारी परंपरायें हमारे विधान सभा में थीं बहुत सारे सदस्य उनकी जो भूमिका रहती थी. भिन्न-भिन्न विषयों पर,उस भूमिका में भी उनका चयन होता था और उनको पुरस्कृत करने का काम भी एक बड़े समारोह में किया जाता था एक समय था कि विधान सभा में विधायक क्लब बड़ा समृद्ध था और उस क्लब में सभी पक्ष-विपक्ष के विधायक धन संग्रह में जुटते थे और अपना-अपना हिस्सा देते थे और हर साल कोई न कोई बड़ा एक इवेंट होता था जिसमें हम सब पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठकर हम विधान सभा हैं यह भावना उसके माध्यम से निश्चित रूप से प्रबल होती रहती थी.

मैं समझता हूं कि आज हम 17 दिसम्बर को बैठे हैं यह दिन हमारी विधान सभा के जीवन में महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को हम और समृद्ध आगामी वर्षों में बनाएं इसके लिये निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों से विचार-विमर्श करेंगे और सरकार से भी विमर्श करेंगे मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाएंगे और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों की यह निरंतर कोशिश बनी रहनी चाहिये कि सदन की बैठकें अधिक से अधिक हों यह पक्ष और विपक्ष दोनों के लिये जरूरी है और मैं समझता हूं कि हम सब लोग अपने को पक्ष और विपक्ष में ही 24 घंटे बांटे

रहते हैं जिसके कारण जो ब्रिज बनना चाहिये आपस में तो वह ब्रिज नहीं बन पाता और ब्रिज नहीं बन पाता तो हम उस पर चढ़कर पार नहीं हो पाते इसलिये कोई समय ऐसा जरूर होना चाहिये कि जब विपक्ष भी पक्ष से पूछे कि विधान सभा की बैठकें और बढ़ाने के लिये हमारे किस सहयोग की आवश्यक्ता है और पक्ष भी विपक्ष से पूछे और कहे कि आप अगर इस दिशा में चलें तो निश्चित रूप से बैठकों को और बढ़ाने का काम किया जा सकता है.

कुल मिलाकर हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि बैठकों की संख्या निरंतर बढ़े और निरंतर जनकल्याण और कानूनी विषयों पर विधान सभा में कामकाज हो. हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का जीवन बहुत उत्कृष्ट हो. सभी सदस्य अपनी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन सदन के माध्यम से कर सकें और अनेक जनकल्याण के मुद्दे जो उठाने की हमारी जिम्मेदारी है. हाऊस ज्यादा चलेगा तो निश्चित रूप से उसे हम उठा पाएंगे इसी के साथ पुनः आप सबको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामना देता हूं.''

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा** ने भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश के 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 पटल पर रखे.

(2) **श्रीमती संपतिया उइके, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री** ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का नौवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021) एवं दसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022) पटल पर रखे.

(3) **श्री नरेद्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री** ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 पटल पर रखा.

(4) **श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री** ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24,

(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24,

(ङ) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24 तथा

(च) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-24

पटल पर रखे.

(5) **श्री नरेद्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री** ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन्, 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22,

(ख) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 तथा

(ग) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखे.

(6) **श्री लखन पटेल, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री** ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के वार्षिक लेखे वर्ष क्रमश: 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 पटल पर रखे.

(7) **श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री** ने निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(i) क्रमांक 6048-2018-दो-सी-एक्स, दिनांक 07 अगस्त 2024 तथा

(ii) क्रमांक एफ-1-172-2021-दो-सी-एक्स., दिनांक 07 अगस्त 2024

पटल पर रखीं.

(8) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन** ने -

(क) जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला पन्ना एवं नीमच के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 तथा

(ख) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23

पटल पर रखे.

(अपराह्न 1.24 बजे से 3.04 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

6. ध्यानाकर्षण

(1) **श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य ने** बुरहानपुर स्थित पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में अनियमितता किये जाने की ओर आयुष मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री इन्दर सिंह परमार, आयुष मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे, सदस्य ने** प्रदेश के वेयर हाऊस के देयकों का भुगतान न होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोविन्द सिंह राजपूत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया. सर्वश्री अजय विश्नोई एवं अभय मिश्रा सदस्यगण ने भी चर्चा में भाग लिया.

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 210-राऊ से निर्वाचित सदस्य, श्री महादेव वर्मा (मधु वर्मा) को विधान सभा के दिसम्बर, 2024 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) **श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति ने** याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित प्रथम, द्वितीय एवं कार्यान्वयन से संबंधित प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा अभ्यावेदनों से संबंधित इकतीसवां एवं बत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) **श्री अजय विश्नोई, सभापति ने** प्राक्कलन समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति ने** प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(4) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सभापति ने** कृषि विकास समिति का प्रथम एवं द्वितीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्य एवं नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 20 सन् 2024)	10 मिनिट
2.	मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024)	10 मिनिट
3.	मध्यप्रदेश माँ शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024)	15 मिनिट
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024)	30 मिनिट
5.	मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 24 सन् 2024)	30 मिनिट
6.	मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024)	1 घण्टा
7.	मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024)	30 मिनिट
8.	मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024)	15 मिनिट
9.	वर्ष 2024-2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण पर चर्चा.	4 घण्टे
10.	प्रदेश में किसानों को रबी फसल हेतु खाद नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमंग सिंघार, नेता प्रतिपक्ष की नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर चर्चा.	1 घण्टा 30 मिनिट

श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन शासकीय विधेयकों, वित्तीय कार्य एवं नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर चर्चा के लिये समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाईं, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

10. वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को 4 घन्टे का समय नियत किया गया.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति.

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार आज की कार्य सूची में सम्मिलित सभी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गईं.

(1) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी (जिला-**शाजापुर)
(2) **इंजी. हरिबाबू राय (जिला-**अशोकनगर)
(3) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर (जिला-**निवाड़ी)
(4) **श्री फूलसिंह बरैया (जिला-**दतिया)
(5) **श्री कैलाश कुशवाहा (जिला-**शिवपुरी)
(6) **डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-**धार)
(7) **श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-**टीकमगढ़)
(8) **श्री वीरसिंह भूरिया (जिला-**झाबुआ)
(9) **श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-**भोपाल शहर)
(10) **श्री महेन्द्र नागेश (जिला-**नरसिंहपुर)
(11) **डॉ. चिंतामणि मालवीय (जिला-**रतलाम)
(12) **श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला-**पन्ना)
(13) **श्री विपीन जैन (जिला-**मंदसौर शहर)
(14) **श्री आतिफ आरिफ अकील (जिला-**भोपाल शहर)
(15) **डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-**ग्वालियर)
(16) **श्री पंकज उपाध्याय (जिला-**मुरैना)
(17) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-**सिवनी नगर)
(18) **श्रीमती सेना महेश पटेल (जिला-**अलीराजपुर)
(19) **श्री श्रीकांत चतुर्वेदी (जिला-**मैहर)
(20) **श्री बाला बच्चन (जिला-**बड़वानी)
(21) **श्री मथुरालाल डामर (जिला-**रतलाम)
(22) **श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-**कटनी)
(23) **श्री प्रहलाद लोधी (जिला-**पन्ना)
(24) **श्री बिसाहूलाल सिंह (जिला-**अनूपपुर)
(25) **श्री कामाख्या प्रताप सिंह (जिला-**छतरपुर)
(26) **श्री श्याम बरडे (जिला-**बड़वानी)
(27) **श्री दिनेश जैन बोस (जिला-**उज्जैन)
(28) **श्री मधु भाऊ भगत (जिला-**बालाघाट)
(29) **श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-**नीमच)
(30) **श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे (जिला-**भिण्ड)
(31) **श्री नारायण सिंह 'पट्टा' (जिला-**मण्डला)
(32) **श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-**दतिया)
(33) **श्री राजेश कुमार वर्मा (जिला-**पन्ना)
(34) **श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-**धार)
(35) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन (जिला-**सागर)
(36) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-**रतलाम)
(37) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-**खरगोन)
(38) **श्री मोन्टू सोलंकी (जिला-**बड़वानी)
(39) **श्री राजन मण्डलोई (जिला-**बड़वानी)
(40) **श्री कमलेश्वर डोडियार (जिला-**रतलाम)
(41) **श्री उमाकांत शर्मा (जिला-**विदिशा)
(42) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर (जिला-**सीहोर)

(43) **श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)**
(44) **सुश्री रामश्री राजपूत (जिला-छतरपुर)**
(45) **श्री अनिल जैन (जिला-**निवाड़ी)
(46) **श्री अभय मिश्रा (जिला-**रीवा)
(47) **श्री गौरव सिंह पारधी (जिला-**बालाघाट)
(48) **कुँवर अभिजीत शाह (जिला-**हरदा)
(49) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-**धार)

12. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि - जिन माननीय सदस्यों ने शून्यकाल की सूचनाएं आज दी हैं, अन्त में वे सब लोग उपस्थित रहें. उन सूचनाओं को वे आज सदस्य पढ़ेंगे.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन ने** मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 25 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) **श्री उदय प्रताप सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री ने** मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास और धर्मस्व** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन
(2) श्री श्रीकांत चतुर्वेदी
(3) श्री फूलसिंह बरैया
(4) डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह
(5) श्री कैलाश कुशवाहा
(6) श्री सोहनलाल बाल्मीक

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. हिरालाल अलावा
(2) श्री दिनेश जैन बोस
(3) श्री बाला बच्चन
(4) डॉ. राम किशोर दोगने
(5) श्री ओमकार सिंह मरकाम

(भाषण के मध्य व्यवधान के कारण 4.22 बजे से 4.28 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

(1) श्री राजन मंडलोई

श्री इन्दर सिंह परमार ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री इन्दर सिंह परमार ने प्रस्ताव किया कि-

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019) पारित किया जाए.

सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. नियम 267-क के अधीन विषय (क्रमश:)

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य ने नर्मदापुरम् जिले के इटारसी में फ्लाई ओवर निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न मिल पाने,
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ नगर में ग्राम निवेश अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन अवैध कॉलोनियों का निर्माण होने,
(3) श्री अभय मिश्रा, सदस्य ने रीवा जिले में किसान कल्याण तथा कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ न किए जाने,
(4) श्री बाला बच्चन, सदस्य ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र में स्कूली शिक्षकों की बेहद कमी होने,
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य ने गुना जिले के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाखा चंदेरी में हुए गबन होने,

(6) श्री उमंग सिंघार, सदस्य ने जिला भोपाल अतंर्गत मत्स्य विभाग के घोड़ा पछाड़ जलाशय के अनुबंध शर्तों के उल्लघंन से हानि होने,

(7) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य ने कटनी की ग्राम पंचायत कुठिया मंहगवां के पंचायत सचिव द्वारा मजदूरी के भुगतान में भारी अनियमितता किए जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ीं.

अपराह्न 4.57 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 (27 अग्रहायण, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 17 दिसम्बर, 2024